न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 352/2015

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
जाति-राजपूत, निवासी-चावण्डिया
तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह
2. माधोसिंह पुत्र जबरसिंह
जातियान-राजपूत,निवासी-चावण्डिया
तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तह०-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.07.07.2015

उपस्थित: 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉक:-27-07-2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 151, 153, 154, 155, 156, 202/1 एवं 282/1 कुल किता-7 कुल रकबा 112-05 बीघा किस्म चा०सो०, बा०दो०, गै०मु०रास्ता, बेरा, सड़ा तथा खसरा नम्बर 148/4, 152 कुल किता-2 कुल रकबा 21-15 बीघा किस्म बा०आ० व गै०मु०बाड़ा की आई हुई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 आपस में सगे भाई हैं व प्रतिवादीगण संख्या 2 इनके पिता है, जो सेशन न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत हैं एवं 73 वर्षीय वृद्ध हैं, जो काश्त नहीं कर सकते हैं। अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को अपने दोनों पुत्रों को सन् 2002 में अलग-अलग खसरान की मौके पर बंटवाड़ा करके फेमिली सैटलमेन्ट करके सौंप दी। जब से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 अलग-अलग कब्जा व काश्त करते आ रहे हैं। उक्त मुतनाजा भूमि में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 2 के नाम होने से वादी को बैंक से ऋण लेने एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में परेशानी रहती है। क्योंकि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 का कब्जा व काश्त मौके पर अलग होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा ऋण की सुविधा का फायदा नहीं ले सकते है और भूमि का सुधार भी नहीं करवा सकते है। इसलिए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 को इस प्रकार उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी है कि वादी नवरतनसिंह के बंट में खसरा नम्बरान् 151, 153, 155 के 1/2 हिस्से की भूमि, 202/1, 282/1, 148/4 कुल किता-6 कुल रकबा 79-00 बीघा की है। उक्त भूमि पर वादी सन् 2002 से काश्त व कब्जा करता आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 का कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 155 रकबा 1-14

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बीघा में वादी का 1/2 हिस्सा गै0मु0राह की भूमि में आता है। मौजा-बाघोरिया में ही स्थित खसरा नम्बरान् 154, 155 की भूमि का 1/2 हिस्सा, 156, 152 कुल किता-4 कुल रकबा 55-00 बीघा की है। इस प्रकार खसरा नम्बर 155 रकबा 1-14 बीघा में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा गै0मु0राह की भूमि में आता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 आपस में संयुक्त रूप से काश्त नहीं कर सकते हैं, व अपने हिस्से की भूमि पर खाद डालकर उपजाऊ बना सकते हैं एवं बैंक से ऋण भी नहीं ले सकते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 सेवानिवृत हैं, जो अजमेर में स्थाई रूप से निवास करते हैं और उक्त भूमि की देखरेख नहीं कर सकते हैं तथा वृद्ध होने से चल फिर भी नहीं सकते हैं। इसलिए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 दोनों पुत्रों को अलग-अलग खसरान् की भूमि सौंप कर बंट कर दिये हैं। इसलिए वादी को खसरा नम्बर 151, 153, 202/1, 282/1, 148/4 व खसरा नम्बर 155 का 1/2 हिस्सा कुल रकबा 79-00 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 विजयसिंह को खसरा नम्बर 154, 156, 152 व 155 के 1/2 हिस्से कुल रकबा 55-00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रति0 सं0 2 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपस में वर्ष 2002 में फेमिली सैटलमेन्ट इसी माफिक किया, जब से मौके पर अलग-अलग कब्जा व काश्त करते आ रहे हैं। कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में आज तक प्रतिवादीगण संख्या 2 का नाम चल रहा है। जिसकी जगह वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम माफिक फेमिली सैटलमेन्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग बांटा जावें। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादीगण बनाया गया है, इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बिनायवाद दिनांक 01/07/2015 को जब प्रतिवादीगण ने फेमिली सैटलमेन्ट माफिक राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कराने से ईन्कार करने पर मनुकाम-बाघोरिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद एवं श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किए जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन्स वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। दिनांक 27/07/2015 को वादी एवं प्रति0 संख्या 1 व 2 ने एक तहरीरी राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उक्त अनवान के वाद-पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 आपस में सगे भाई हैं एवं प्रति0 संख्या 2 इनके पिता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ज्यादा वृद्ध होने से उक्त भूमि पर काश्त नहीं कर सकते हैं। अपने दोनों पुत्रों को उक्त जमीन देना चाहते हैं और खातेदारी इनके नाम कराना चाहते हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने परिवार में बैठकर आपस में पारिवारिक प्रबन्ध भी काफी समय पूर्व कर लिया था। उसी माफिक बंटवारा करना चाहते हैं। खसरा नम्बर 151, 153 व 202/1, 282/1, 148/4 व 155 का 1/2 हिस्सा कुल किता-6 कुल रकबा 79-00 बीघा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 154, 156, 152 व 155 का 1/2वां [illegible] कुल किता-4 कुल रकबा 55-00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 1 को खातेदार काश्तकार माफिक राजीनामा घोषित किया जावें तथा प्रति0 संख्या 2 का नाम हटाया जावें। माफिक राजीनामा इसी रूप में मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजीनामा से प्रति० संख्या 2 की पत्नि [illegible] भी सहमत हैं। राजीनामा में उल्लेख किया हैं कि प्रति० संख्या 1 को बेरा दिया गया हैं। इसलिए इनको जमीन कम दी गई हैं। वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। उक्त प्रस्तुत राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता मय वादी ने माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की, जिसकी संपुष्टि जवाब बहस में वकील मय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी की हैं तथा राजीनामा में स्वीकारोक्ति की हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता व प्रतिवादी संख्या 2 की धर्मपत्नि ने भी उक्त राजीनामा में अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–चावण्डिया, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख०नं० 151 रकबा 1–01 बीघा किस्म गै०मु०रास्ता, ख०नं० 153 रकबा 49–06 बीघा किस्म चा०दो०, ख०नं० 155 का 1/2 हिस्सा रकबा 0–17 बीघा किस्म गै०मु०सड़ा, ख०नं० 202/1 रकबा 1–00 बीघा किस्म बा०दो०, ख०नं० 282/1 रकबा 5–07 बीघा किस्म बा०दो०, ख०नं० 148/4 रकबा 21–09 बीघा किस्म बा०दो०, कुल किता–6 कुल रकबा 79–00 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार ख०नं० 154 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै०मु०बेरा, ख०नं० 155 का 1/2 हिस्सा रकबा 00–17 बीघा किस्म गै०मु०सड़ा, ख०नं० 156 रकबा 53–16 बीघा किस्म बा०दो०, ख०नं० 152 रकबा 0–06 बीघा किस्म गै०मु०बाड़ा, कुल किता–4 कुल रकबा 55–00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से तत्काल हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा खाता व लगान अलग–अलग किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 21/01/2018 को राजस्व लोक अदालत आयोजित फोलोअप शिविर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज०)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-चावण्डिया
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह
2. माधोसिंह पुत्र जबरसिंह
   जातियान-राजपूत,निवासी-चावण्डिया
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:352/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 151 रकबा 1-01 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता, ख0नं0 153 रकबा 49-06 बीघा किस्म चा0दो0, ख0नं0 155 का 1/2 हिस्सा रकबा 0-17 बीघा किस्म गै0मु0सड़ा, ख0नं0 202/1 रकबा 1-00 बीघा किस्म बा0दो0, ख0नं0 282/1 रकबा 5-07 बीघा किस्म बा0दो0, ख0नं0 148/4 रकबा 21-09 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-6 कुल रकबा 79-00 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इसी प्रकार ख0नं0 154 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, ख0नं0 155 का 1/2 हिस्सा रकबा 00-17 बीघा किस्म गै0मु0सड़ा, ख0नं0 156 रकबा 53-16 बीघा किस्म बा0दो0, ख0नं0 152 रकबा 0-06 बीघा किस्म गै0मु0बाड़ा, कुल किता-4 कुल रकबा 55-00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से तत्काल हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा खाता व लगान अलग-अलग किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner